जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

16/16

A3/1

विविध बैंक प्रकरण सं0 16/2016 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा इण्डस्ट्रीयल एरिया, श्रीगंगानगर बनाम 1—श्री अशोक कुमार पुत्र रूपचंद, 2/225—226 हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर 2— श्री अशोक कुमार प्रो0 मैसर्स जेबीडी ट्रेडिंग क0 शॉप न0 12 होल सेल मार्केट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.07.2016

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री राजेश अरोड़ा, मैनेजर सार्क, श्रीगंगानगर उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में दिनांक 05.07.2016 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि श्री राजेश अरोड़ा, मैनेजर सार्क, श्रीगंगानगर का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण अशोक कुमार पुत्र रूपचंद व अशोक कुमार प्रो0 मै0 जेबीडी ट्रेडिंग क0 शॉप न0 12, होल सेल मार्केट, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण राशि 12,00,000/—रूपये (अखरे रूपये बारह लाख मात्र) दिनांक 15.11.2014 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रूपचंद द्वारा अपनी अचल सम्पति 2/225—226, जवाहर नगर सेकेण्ड ब्लाक, हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर साईज 8.5 इन्टू 7.5 वर्गमीटर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी ऋणी का ऋण खाता दिनांक 30.09.2015 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 03.10.2015 को कुल 12,41,624रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया है। अप्रार्थीगण ऋणीयों को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 03.10.2015 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। रजि0 एडी नोटिस बिना वितरण के वापिस आने पर अखबारो में प्रकाशन के बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रूपचंद द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पति 2/225—226, जवाहर नगर सेकेण्ड ब्लाक, हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर साईज 8.5 इन्टू 7.5 वर्गमीटर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी अशोक कुमार पुत्र रूपचंद व अशोक कुमार प्रो0 मै0 जेबीडी ट्रेडिंग क0 शॉप न0 12, होल सेल मार्केट, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 12,00,000/—रूपये (अखरे रूपये बारह लाख मात्र) दिनांक 15.11.2014 को स्वीकृत किया था। ऋण की

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

जिला कलैक
श्रीगंगानगर

सुरक्षा की एवज में ऋणी अशोक कुमार पुत्र रूपचन्द द्वारा अपनी अचल सम्पति हाउस 2/225—226, जवाहर नगर सेकेण्ड ब्लाक, हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर साईज 8.5 इन्टू 7.5 वर्गमीटर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.09.2015 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 03.10.2015 डाक द्वारा भिजवाये गये। पत्रावली में उपलब्ध रजि0 ए.डी. रसीदो पर पोस्टमेन द्वारा घर के पते की एडी रसीद पर यह अंकित किया गया है कि प्राप्त कर्ता घर से लम्बे समय से बाहर है व दुकान की एडी रसीद पर यह नोट अंकित है कि प्राप्तकर्ता यहां से छोड कर चला गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नही हुई है। इसलिए प्रार्थी बैंक को उक्त अधिनियम व इसके तहत बने नियमो के प्रावधानो के अनुसार ऋणी पर तामील करवानी चाहिए थी।

जहां तक प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी को जारी धारा 13(2) के नोटिस की सीमा सन्देश समाचार पत्र दिनांक 22.10.2015 व राज0 पत्रिका दिनांक 22.10.15 के माध्यम से तामील का प्रश्न है वह मान्य नही है। चूंकि जिस प्रकार से धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस दिनांक 03.10.2015 का रजि0 डाक से जिस रूप में भेजा गया था उसी रूप में ही उसी प्रकार से प्रार्थी का नोटिस पूर्ण विवरण सहित समाचार पत्रो में प्रकाशित होना चाहिए था जो प्रकाशित नही करवाया गया है बल्कि अखबार में प्रकाशित सूचना पूर्व में जारी नोटिस दिनांक 03.10.2015 की एक स्मरण पत्र के रूप में सूचना मात्र ही है जो विधिवत रूप से जारी नोटिस की परिभाषा में नही आती है इसलिए ऋणी पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना नही माना जा सकता। ऐसी दशा में प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रा0 पत्र स्वीकार नही किया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी. किशन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर